WWW.APMA.BIZ

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–18 / 120 दिनांक : 13 जुलाई, 2017

''ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की चैकिंग तथा जीएसटी बिलों की पूछताछ और व्यापारियों को तंग करने के सन्दर्भ में''

सभी व्यापारी भाईयो को सूचित किया जाता है कि बुद्ववार दिनांक 12–7–2017 को विशेष ट्रैफिक पुलिस आयुक्त श्री अजय कश्यप जी से उनके आई.टी.ओ. कार्यालय में चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री(CTI) के संयोजक श्री ब्रिजेश गोयल जी के नेतृत्व में करोल बाग, खारी बावली, कपड़ा मार्किट एवं केमिकल एसोसियेशन तथा व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपमा की तरफ से महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी ने भाग लिया।

बैठक में व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने विशेष ट्रैफिक पुलिस आयुक्त महोदय जी को बताया कि जब से जीएसटी लागू हुआ है ट्रैफिक पुलिस वाले माल से लदे हुए Threewheeler, Tempo इत्यादि वाहनो को रोककर जीएसटी बिल की मांग करते है न दिखाए जाने पर माल को जब्त करने की धमकी देते है और बगैर रिश्वत माल नहीं छोड़ते है जिसके कारण व्यापारियों में काफी रोष है। विशेष ट्रैफिक पुलिस आयुक्त महोदय जी ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना एवं कहा कि ऐसी शिकायते उनको भी मिल रही है ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ विभाग सख्त कार्यवाही करेगा एवं उन्होंने कहा कि जिस समय व्यापार जगत जीएसटी कर प्रणाली को अपनाने में कार्यरत है उस समय पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी जीएसटी बिल के नाम पर माल से लदे वाहनों को नहीं रोक सकता न ही उनसे बिल की मांग कर सकता है, ऐसा होना व्यापार के हित में नहीं है, इस पर पूर्ण रूप से कार्यवाही करेंगे और उन्होंने हाथो–हाथ व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि इस सन्दर्भ में वो अभी प्रेस के माध्यम से यह संदेश तमाम दिल्ली को पहुँचायेगे कि यदि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला जीएसटी बिल के नाम पर माल से लदे हुए Threewheeler, Tempo इत्यादि वाहनो को रोकता है या परेशान करता है तो ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसी वारदातों में लिप्त पाए जाते है तो उन ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाऐगी। विशेष आयुक्त महोदय जी ने आश्वासन दिया कि यदि कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी जीएसटी बिल के नाम पर माल से लदे हुए Threewheeler, Tempo इत्यादि वाहनो को रोकता है या परेशान करता है तो आप उसकी शिकायत फोन नं0 1095–25844444 तथा वाट्सऐप नं0 8750871493 पर करे। इसके बाद व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने विशेष आयुक्त महोदय के समक्ष ट्रैफिक समस्याओं के विषय में भी चर्चा की और उनके समाधान के लिए निवेदन किया। इसके बाद विशेष आयुक्त महोदय जी ने आश्वासन दिया कि दिल्ली के व्यापार और जनता की सुविधा की भरपूर कोशिश की जाएगी। प्रतिनिधिमण्डल ने इस सहयोग के लिए व्यापारियों की ओर से विशेष आयुक्त को धन्यवाद दिया।

कृ0प0उ0.........2

सरकूलर नं0 अपमा / 2016—18 / 121

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि बृहस्पतिवार दिनांक 13—7—2017 को कन्फैडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में जीएसटी की समस्याओं को लेकर एक वर्कशाप का आयोजन एनडीएमसी कांन्फ्रेंस सेन्टर जन्तर—मन्तर पर किया गया जिसमें भारत सरकार के केन्द्रीय उर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी अतिरिक्त आयुक्त CBEC के श्री सचिन जैन जी ने भाग लिया। इस बैठक में कन्फैडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चेयरमैन नरेन्द्र मदान जी, महासचिव श्री उमेश सेठ जी, अपमा प्रधान श्री आर.के. गुप्ता जी, निवर्तमान प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी, सचिव श्री उमेश सेठ जी, कोषाध्यक्ष श्री विनय नारंग जी, संयुक्त सचिव श्री पूरन चन्द गुप्ता जी, कर उपसमिति के चेयरमैन श्री इन्द्रजीत सिंह जी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री कैलाश चन्द(जेडी) जी भी उपस्थित थे।

बैठक में व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने जीएसटी से संबंधित समस्याओं से माननीय उर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को अवगत करवाया। हमने उनको एक ज्ञापन पत्र भी दिया जिसमें निम्नलिखित विषयों का जिक्र किया है — ऑटो पार्ट्स के कर दर 28% होने से और उत्पाद शुल्क के अंतर्गत छोटे उद्योगों को जो कर दर में छूट मिली थी उसके खत्म होने के कारण उनके कर दर में वृद्धि हो गई तथा उनकी लागत बड़ी कम्पनियों के बराबर हो गई और इसके कारण उनका वजूद भी खतरे में है इसके अलावा उनकी पूंजी लागत भी बढ़ गई है। ऑटो पार्ट्स, मशीनरी पार्ट्स एवं ट्रेक्टर पार्ट्स की बहुत सी वस्तुऐं सामान्य है इसलिए इनकी दरों में असमान्यता होने से बहुत दिक्कत हो गई है। HSN CODE में बहुत सारी अस्पष्टता हैं जिसके लिए व्यापारियों से बात करके ही HSN CODE प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का आश्वासन दिया कि अगली काउसिंल बैठक में उपरोक्त सुझावों को रखा जाऐगा तथा प्रयास किया जाएगा कि व्यापारियों द्वारा दिये गए सुझावों पर यथासंभव उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यह कोई पहली या आखिरी मीटिंग नही है आप सुझाव भेजते रहें मीटिंगों का दौर चलता रहेगा उन्होंने एक website भी बताई यदि किसी भी व्यापारी भाई को अपनी समस्या भेजनी है तो वह sachinjainIRS@gmail.com पर Adll.Commissioner श्री जैन को भेज सकते है तथा आपके सुझावों पर उचित कार्यवाही होगी उसका उन्होंने आश्वासन भी दिया।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016—18 / 122

M/S. ANKUR AUTO AGENCIES, 195/17, Prem Gali, Kashmere Gate, Delhi-110006, (Phone : Office : 23948193), desire to circulate as under:-

"This is to inform that our employee Mr. Pandey has left our firm M/s. Ankur Auto Agencies(Autoease) at 195/17, Prem Gali, Kashmere Gate, Delhi-110006 with effect 6 June 2017. Anybody dealing with him after 6-6-2017 will do so at their own risk and responsibility.

(विष्णु भार्गव)
महासचिव